

सुरक्षा अलर्ट:

खुद की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें



दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनियों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम के ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इंस्टॉलेशन के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावल्यां, 2023 ("सीईए सेफ्टी रेगुलेशंस, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है।

इमारतों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इंस्टॉलेशनों से न्यूनतम वर्टिकल व हॉरिजेंटल दूरी बनाए रखें।

लाइन/उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी भवन/ढांचे/बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूनतम समतलदूरी/हॉरिजेंटल क्लियरेंस जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
650 वोल्ट्स तक के वोल्टेज की लाइनें	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11000 वोल्ट तक या सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक व सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 कैंवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 कैंवी या उसके भाग पर)

ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक दुर्घटनाओं और बिजली आपूर्ति में बाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावल्यां का उल्लंघन करने वाले किसी सी पत्यक्ष या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।

BSES

100
रिवॉर्ड पॉइंट्स
ई-बिल
सब्सक्रिप्शन के लिए

100
रिवॉर्ड पॉइंट्स
ऑनलाइन बिल भुगतान के लिए
(बिल जेनरेशन के 7 दिनों के भीतर)

50
रिवॉर्ड पॉइंट्स
ऑनलाइन बिल भुगतान के लिए
(बिल जेनरेशन के 8-15 दिनों के भीतर)

आसान है

e.LECTRIC
रिवॉर्ड पॉइंट्स हासिल करना

देखें और रिक्रीम करें
आपका

e.LECTRIC
रिवॉर्ड पॉइंट्स



- bseedelhi.com पर माय अकाउंट को लॉगइन करें
- जानें कि आपने कितने पॉइंट्स कमाए हैं
- इन पॉइंट्स को रोमांचक डील के लिए रिक्रीम करें जैसे: शॉपिंग, डाइनिंग, स्वास्थ्य और अधिक



माय अकाउंट को लॉगइन करें
bseedelhi.com पर

*नियम व शर्तें लागू

e.LECTRIC REWARDS
Go Digital - Get Rewarded
BSES CUSTOMER LOYALTY PROGRAM

इसके सहयोग से
SURGE
Powering the Thrive

सुरक्षित तरीके से भुगतान कैसे करें

हमेशा अलर्ट रहें और अपने बिजली बिल का भुगतान बोनोफाइड प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें



बीआरपीएल

बीवाईपीएल

बीएसईएस वॉट्सऐप	बस "Hi" लिखें और उसे 8800919123 पर भेज दें	बस "Hi" लिखें और उसे 8745999808 पर भेज दें
मोबाइल ऐप*	बीआरपीएल पावर ऐप	बीवाईपीएल कनेक्ट
वेबसाइट*	www.bseedelhi.com	
ई-वॉलेट्स	पेटीएम/फोनपे/गूगलपे/अमेजॉन पे	
क्यूआर कोड	बिल पर छपा	
पे नाउ ऑप्शन	बिल पर छपा	



BSES की ओर से कंज्यूमर अलर्ट

ताकि बिजली बिल के भुगतान संबंधी धोखाधड़ी वाले कॉल्स और मैसेज के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके

फीडबैक

अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110032
सीआईएन: CIN:U40109DL2001PLC111525, फोन: 11-4124-7111/4124-9273, ईमेल: bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइट: www.bseedelhi.com

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं



टोल फ्री 24x7
19122



बिजली चोरी संबंधी
8588892156
बिजली गुल की शिकायत
8745999808



स्ट्रीटलाइट
41999808